(1)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04/र0वि0अधि0–01/12 – 2331 खाद्य, पटना/दिनांक – 13/4/2012

प्रेषक,

ए0 के0 सिन्हा,
विकास आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत गेहँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं निर्देश के सम्बन्ध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि रब्बी मौसम – 2012 में गेहूँ के रिकार्ड उत्पादन की आशा है । इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 15 लाख मे0 टन गेहूँ की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो गत वर्ष की उपलब्धि का तीन गुणा है (जिलावार लक्ष्य की सूची संलग्न)। अतः आवश्यक है कि इस वर्ष अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि लक्ष्य तो प्राप्त हो ही, साथ ही यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं । वास्तव में यह लक्ष्य प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । अतः राज्य सरकार ने अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है । रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य 1285/–** रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम **दिनांक 15.04.12 से 31.07.12 तक** प्रभावी रहेगा ।

2. **अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें**

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- किसानों से गेहूँ क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स के माध्यम से की जानी है ।
- वैसे पंचायत जहां के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं है, वैसे पंचायतों के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूँ क्रय करेगा । इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक एवं आवश्यकतानुसार इससे अधिक क्रय केन्द्र स्थापित करेगा ।
- किसानों को पूरे राज्य में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरन्त बाद भुगतान किया जायेगा । इस चेक से बैंक में तुरन्त भुगतान प्राप्त होगा ।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक 15.04.2012 के पूर्व कर ली जाय ।

3. **लक्ष्य का निर्धारण**

इस वर्ष राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति का **लक्ष्य 15.00 लाख मे0 टन** रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

(मे0 टन में)

बिहार राज्य खाद्य निगम	–	3.00 लाख
पैक्स	–	12.00 लाख
कुल	–	**15.00 लाख**

सम्यक् विचारोपरान्त रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है । आपसे यह अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें, जिससे कि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके । उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति भी की जा सकती है ।

4. क्रय केन्द्रों का निर्धारण

रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पैक्सों द्वारा किया जायेगा तथा जिन पंचायतों में गेहूँ का क्रय पैक्सों द्वारा नही किया जायेगा वहां बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड में स्थापित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा । मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है । आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी कय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियां पूरी कर ली गई है :–

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- विहित प्रकिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- किसानों को अविलंब भुगतान हेतु चेक बुक के साथ चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था ।
- पैक्स द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संधारण ।
- पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन ।

कृपया यह सुनिश्चित करें के आपके जिले में उपरोक्त तैयारियों के साथ दिनांक 15.04.2012 से निर्धारित गेहूँ अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय ।

5. भंडारण की व्यवस्था

अपने–अपने जिलान्तर्गत उपलब्ध किसान भवनों को तत्काल पर्याप्त भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करा दिया जाय । साथ ही, सुरक्षित भंडारण हेतु बाजार समिति प्रांगण में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अस्थायी रूप से Water Proof पंडाल का निर्माण कराया जाय ताकि अधिप्राप्ति के सुचारू संचालन में कोई व्यवधान न हो । भारतीय खाद्य निगम को अपने जिलान्तर्गत बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज भवनों को उपलब्ध कराया जाय ताकि राज्य खाद्य निगम से गेहू प्राप्त कर भंडारण करने में भारतीय खाद्य निगम को कोई कठिनाई न हो । बिहार राज्य खाद्य निगम को कृपया सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 15.04.2012 के पूर्व चिन्हित भंडार स्थल पर निम्नांकित तैयारियॉ पूरी कर ली गई हो :–

- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन / तिरपाल की उपलब्धता

- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बेन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कर्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
  किसी भी परिस्थिति में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के भंडारण हेतु खुले गोदाम का उपयोग नही किया जायेगा । आवश्यकतानुसार/परिस्थिति विशेष में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के सुरक्षित भंडारण हेतु अस्थायी Water Proof पंडाल की व्यवस्था की जाय ।

6. <u>भुगतान की व्यवस्था</u>

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य (MSP) का भुगतान क्रय केन्द्र पर ही एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा अविलंब किया जाय । इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक बुक एवं चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना ।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा इस सम्बन्ध में जिले या प्रखंड स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बैंक एकाउन्ट खोलना एवं प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना
- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध होना
- राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक जिला में कॉ–ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलवाना जिससे कि पैक्सों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान एकमुश्त एडवाइस भेज कर किया जा सके ।
- पैक्स द्वारा कय किये गये गेहूँ का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना ।

8. <u>जिला स्तर पर प्रबंधन /अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था</u>

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय ।

9. <u>बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर **Enforcement Officer** की प्रतिनियुक्ति</u>

- प्रखंड में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।

- पैक्सों द्वारा किसानो से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर गेहूँ सुपूर्द करने हेतु राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति की जाय । राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Officer से Enforcement Certificate प्राप्त कर लें । पैक्स द्वारा किसानो से खरीदे गये गेहूँ से सम्बन्धित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में पैक्सों अथवा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जाय ।

10. पैक्सों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों से गेहूँ लेने के लिए पैक्सों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्सों को यह जानकारी रहे कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर गेहूँ पहुंचाना है । इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही लगे एवं पैक्स सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सके ।

11. गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जानेवाले कागजात

- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज – अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद/ किसान क्रेडिट कार्ड – इनमें से कोई एक ।
- किसानो का फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की फोटो प्रति /किसान क्रेडिट कार्ड की फोटो प्रति/ड्राईविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज – इनमें से कोई एक ।
- बटाईदारों के लिए जमीन मालिक का उपर्युक्त भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र ।
- **रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सुखे हुए गेहूँ जिसकी नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से अधिक न हो, की अधिप्राप्ति की जाय ।**

12. अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी ।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानो से क्रय को सुनिश्चित करना ।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयेजित कर भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ।
- पैक्स, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों से प्रतिदिन क्रय से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना ।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना ।

13. अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ।

14. **अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका**

- पैक्स से गेहूँ प्राप्त करने हेतु प्रखंड स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलना ।
- जहां पैक्स कार्यरत नही हैं उन स्थानों पर किसानो से सीधे गेहूँ कय करने हेतु अधिप्राप्ति केन्द्र खोलना ।
- भंडारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना ।
- प्रतिदिन कय केन्द्रों पर कय किये गये गेहूँ से सम्बन्धित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना ।
- पैक्सों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण ।
- गन्नी बैग की व्यवस्था – पैक्सों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के क्रम में यदि गनी बैग की मांग की जाती है तो राज्य खाद्य निगम के प्रखंड क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा Phasewise आवश्यकतानुसार गनी बैग उपलब्ध करा दिया जाय ।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना ।

15. **अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका**

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों का चयन करना ।
- सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु माप दंड निर्धारित करना ।
- पैक्स के सुचारू संचालन सुनिश्चित करना ।
- अधिप्राप्ति कार्य, गेहूँ के क्रय विक्रय का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करना और विभाग को उपलब्ध करवाना ।
- पैक्स को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- वैसे तीन जिले जहां सहकारी बैंक नही हैं वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करवाना ।
- बिस्कोमान के पास उपलब्ध संरचना यथा गोदाम कार्मिक आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलंब उपलब्ध कराना ।

16. **अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका**

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से सम्बन्धित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे ।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगा ।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना ।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना ।

17. **जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका**

- प्रत्येक सप्ताह में अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना ।

18. **प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका**

- प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक जिला का भ्रमण कर किसानों से बातचीत करना, अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा करना तथा प्रतिवेदन समर्पित करना ।

19. **जिला पदाधिकारियों की विशेष शक्तियाँ**

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगे ।

20. **अवकाश पर प्रतिबंध**

- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नही किया जाएगा । अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

इस संबंध में दिनांक 04.04.2012 एवं 12.04.12 को आयोजित विडियों कॉफ्रेंसिग के माध्यम से आप सभी को विस्तृत निर्देश दिये गये हैं । खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के अनुरूप ही बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यक कर्मियों एवं अन्य आधारभूत संरचना अविलंब उपलब्ध करवायेंगे ।

चूँकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है । अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आलात बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े । इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को कदापि बर्दाश्त नही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त ।

विकास आयुक्त

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/11 – 2331 खाद्य, पटना/दिनांक – 13/4/2012

प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

विकास आयुक्त

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/11 – 2331 खाद्य, पटना/दिनांक – 13/4/2012

प्रतिलिपि – सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विकास आयुक्त

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/11 – 2331 खाद्य, पटना/दिनांक – 13/4/2012

प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

विकास आयुक्त

रब्बी विपणन मौसम 2011-12 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु जिलावार न्यूनतम लक्ष्य

(ऑकड़ा मे0टन में)

क्र0सं0	जिला का नाम	गेहूँ का अनुमानित उत्पादन (कृषि विभाग के आधार पर)	अनुमानित न्यूनतम लक्ष्य (जिला द्वारा प्राप्त लक्ष्य)	मुख्यालय द्वारा संशोधित जिलावार लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पटना	262860	50000	75000	
2	नालंदा	269888	40000	60000	
3	भोजपुर	256413	55000	80000	
4	बक्सर	223200	40000	60000	
5	रोहतास	469000	70000	100000	
6	कैमूर	249264	60000	90000	
7	गया	204116	25000	35000	
8	जहानाबाद	80108	10000	15000	
9	अरवल	51289	3000	4000	
10	नवादा	148537	15000	20000	
11	औरंगाबाद	196753	51000	75000	
12	सारण	272375	30000	45000	
13	सिवान	279029	20000	30000	
14	गोपालगंज	261175	30000	40000	
15	मुजफ्फरपुर	239780	33000	45000	
16	पू0चम्पारण	337604	40000	60000	
17	प0चम्पारण	252675	40000	60000	
18	सीतामढ़ी	158719	25000	35000	
19	शिवहर	43200	11300	15000	
20	वैशाली	135694	35000	50000	
21	दरभंगा	175550	25000	35000	
22	मधुबनी	175570	26000	39000	
23	समस्तीपुर	156605	50000	75000	
24	मुंगेर	53630	10000	15000	
25	बेगूसराय	162962	50000	75000	
26	शेखपुरा	52187	5000	5000	
27	लखीसराय	67800	5000	5000	
28	जमुई	44987	7500	10000	
29	खगड़िया	93298	24000	35000	
30	भागलपुर	107973	25000	35000	
31	बांका	77755	10000	15000	
32	सहरसा	120212	25000	35000	
33	सुपौल	137500	10000	15000	
34	मधेपुरा	114288	21000	30000	
35	पूर्णियॉ	105444	21000	30000	
36	किशनगंज	66612	8000	12000	
37	अररिया	129055	17500	25000	
38	कटिहार	75001	10000	15000	
कुल :-		63,08,108	1033300	**1500000**	

नोट :- गेहूँ के रूप में अनुमानित उत्पादन के आधार पर जिला का न्यूनतम लक्ष्य दिया गया है ।